न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री दशरथ पिता भूराजी मेघवाल निवासी नान्दवेल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री चमना पिता खुमा जी मेघवाल निवासी नान्दवेल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री लेहरीलाल पिता भूरा जी मेघवाल निवासी नान्दवेल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री खमाणी बेवा भूरा जी मेघवाल निवासी नान्दवेल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील मावली जिला उदयपुर
5. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली जिला उदयपुर
6. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर
7. भेरूलाल पिता देवीलाल खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) मावली दिनांक 29–12–2016
प्रकरण संख्या 229/2013 प्रार्थना पत्र

———/———

उपस्थित :–1– श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 7
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4, 5, 6

——————/——————

निर्णय दिनांक 11–07–2018

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नाहरमगरा में स्थित आराजी नंबर 3881/1442 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित होकर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 के पिता/पति भूरा ने स्वर्जित आय से लक्ष्मण सालवी से दिनांक 5–3–1973 को क्रय की थी, लेकिन इस विक्रय की लिखतम में प्रार्थी के पिता ने अपने साथ अपने छोटे भाई चमना का नाम भी दर्ज करवा लिया, जिससे चमना का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जबकि भूमि पर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2, 3 ही काबिज है। इस भूमि में विपक्षी संख्या–1 चमना का कोई कब्जा व हक अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 ने 50/–रू0 के स्टाम्प पर दिनांक 20–4–2007 को शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र की ताईद में भूरा जी की ही संपत्ति होने का दिया है। विक्रय की लिखतम में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठि है। विपक्षी संख्या–1 का 40 वर्षो से कब्जा नहीं होने से धारा–63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विपक्षी संख्या–1 के अधिकार समाप्त होकर खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। प्रतिकूल कब्जे से भी प्रार्थी व विपक्षी संख्या–2, 3 खातेदार बन चुके है। त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठि का फायदा उठा कर विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 बेज़ा दखलन्दाजी कर सकता है तथा भूमि का विक्रय भी कर सकता है। अतएव उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाय।

प्रकरण में विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या–1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विक्रय प्रतिफल भूरा, चमना, बालू व रता पिता मोती ने दिया। विपक्षी संख्या–1 ने अपने हिस्से का प्रतिफल अदा किया तथा शपथ पत्र भी झूंठा है। जिस पर नामसमझी से उसके हस्ताक्षर करवा लिए है। प्रार्थी का भूमि पर कब्जा है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

प्रकरण में दौराने कार्यवाही विपक्षी संख्या–7 द्वारा भी खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उसके द्वारा विवादित आराजी के

1/4 हिस्से को विपक्षी संख्या–1 से क्रय किया है। रेकार्डेड खातेदार से क्रय किये जाने के कारण विक्रय पत्र निरस्त करवाये बिना कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्ण्य दिनांक 29–12–2.016 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा यह अपील स न्यायालय में दिनांक 9–1–2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 7 की और से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5 व 6 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की। बहस के बाद अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने दिनांक 5–7–2018 को लिखित बहस भी पेश की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से वाद का उद्धेश्य ही समाप्त हो गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र के रूप में प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध थी। प्रार्थी विकलांग है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–7 सद्भावी क्रेता नहीं है। विक्रय पत्र निरस्ती की कोइ आवश्यकता नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से अनावश्यक वाद बहुलता बढ़ेगी।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिए वांछनीय तीनों तत्वों पर आख्यापक विवेचन कर निर्णय पारित किया है। शपथ पत्र को विधिक स्वामित्व का आधार नहीं माना जा सकता। पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रेता के हक अधिकारों को राजस्व न्यायालय निषेध नहीं कर सकता।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलाधीन समस्त आधारों पर तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–12–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11–07–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर